न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आनन्दसिंहपुरा

अनुवान :– अमरसिंह बनाम शीशराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :– 110 / 2025

निर्णय दिनांक :– 04/07/2025

अमरसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरूप्रार्थी

बनाम

1. शिशराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. जवाहरलाल पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि खसरा नं. 328/55 तादादी 1.5553 हेक्टेयर, खसरा नं. 357/332 तादादी 0.4805 हेक्टेयर, खसरा नं. 363/345 तादादी 0.9231 हेक्टेयर, खसरा नं. 365/339 तादादी 0.1897 कुल तादादी 3.1486 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी आशा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमांबदी व नक्शा सलंग्न प्रार्थना पत्र की जाकर वादाधार वाद बनाया जा रहा है। उक्त कृषिभूमि ही विवादित है। अप्रार्थी सं. 1 शिशराम की कृषिभूमि खसरा नं. 364/345 प्रार्थी की कृषिभूमि के पूर्वी तरफ चिपती हुई है तथा अप्रार्थी सं. 2 जवाहरलाल की कृषिभूमि खसरा नं. 343/72 प्रार्थी की कृषिभूमि के दक्षिणी तरफ चिपती हुई है जिसकी जमाबंदी संलग्न की जा रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के दरमियान कृषिभूमि के सीमाज्ञान को लेकर आये दिन झगड़ा फसाद होने की सम्भावना रहती है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषिभूमि को सही एवं सूचारू रूप से काश्त नहीं कर पाता है। विवादित कृषिभूमि की सींव व फसल काश्त को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का झगड़ा फसाद रहता है व आये दिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी की कृषिभूमि की सीवों को जबरदस्ती तोड़कर उसमें खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने पर आमादा रहते है। जिस वजह से प्रार्थी के लिये अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना अनिवार्य हो गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी विवादित कृषिभूमि की पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी सं. 3 के समक्ष अनेकों बार आवेदन किये है लेकिन सही तरीके से पैमाईश नहीं की गई तथा राजस्व कर्मियो द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर लेकर अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है व ना ही प्रार्थी को उसकी कृषिभूमि की निशानदेही दी जा रही है। प्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति है व उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि उपज ही है जिससे उसके परिवार का गुजारा हो पाता है व प्रार्थी की कृषिभूमि की सही निशानदेही देकर पत्थरगढी नहीं करवाये जाने से हर समय झगड़ा फसाद व खून खराबा होने की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके लिये भी प्रार्थी के लिये अपनी खातेदारी